



425/11

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 3100/05/76/एक/2015-16  
सेवा में,

दिनांक 05 नवम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	433802011001024	IFSC Code UBIN0558605	177.429

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	मो0 वार्ड नं0 27 डोमनपूरा जफरनगर में ईदगाह से हाफीज का मकान होते हुए ईदगाह के दक्षिणी छोर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.191
2	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	मो0 वार्ड नं0 27 डोमनपूरा जफरनगर में ऐनुलहक के घर से मुस्तकीम का घर होते हुए जावेद के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	5.739
3	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	मो0 वार्ड नं0 27 डोमनपूरा जफरनगर में ट्रान्सफार्मर से परवेज का घर होते हुए उमर से अल्कहत तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.394
4	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	मो0 वार्ड नं0 27 डोमनपूरा जफरनगर में लतीफ के घर से सलीम व ईकबाल का घर होते हुए गृहस्त तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.632
5	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	मो0 वार्ड नं0 27 डोमनपूरा जफरनगर में अनवार के घर से अरशद व अनवारूल का घर होते हुए गफ्फार के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.806
6	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	मो0 वार्ड नं0 27 डोमनपूरा जफरनगर में तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16.588
7	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	मो0 वार्ड नं0 27 डोमनपूरा जफरनगर में मस्जिद से समद के अहाते तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.398
8	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	मो0 वार्ड नं0 27 डोमनपूरा जफरनगर में बन्धे से पुलिस चौकी होते हुए आलिया हाई स्कूल तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.222
9	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किस्त	न0प0 अदरी	वार्ड नं0 03, बाग मे डा0 कर्लउद्दीन के टाना के मकान से डा0 वसीम खां के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.502



425/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किशत की धनराशि का प्रेषण
10	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० अदरी	वार्ड न० 05, स्टेशन रोड में लक्ष्मी चौक होते हुए रामविनय शशि पूर्व सभासद के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	10.395
11	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० अदरी	वार्ड न० 09, कुड़वा में मु० बाजार अशोक विश्वकर्मा के मकान से मदरसा सईदिया ऐनुल ओलूम तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	10.381
12	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० अदरी	वार्ड न० 10, फैजनगर में रागीर हसरन चिक के मकान से मौलवी फजलेहक के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.463
13	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० दोहरीघाट	वार्ड न० 06, कमला तिवारीपुरा में महातम मिश्रा के खेत से हरिश्चन्द्र साहू के घर तक नाला निर्माण कार्य।	2.612
14	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० दोहरीघाट	वार्ड न० 06, कमला तिवारीपुरा में हरिश्चन्द्र साहू के घर से नन्दू यादव की मड़ई तक नाली निर्माण कार्य।	2.612
15	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० दोहरीघाट	वार्ड न० 06, कमला तिवारीपुरा में नन्दू यादव के मड़ई से दुर्गा मन्दिर के पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	2.900
16	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० दोहरीघाट	वार्ड न० 10, सदर बाजार में दुर्गा मन्दिर के पास बने पुलिया से नदी तक नाला निर्माण कार्य।	2.608
17	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० घोसी	गो० करीमुददीन बगही में शकील अहमद अंसारी के घर से पोखरी तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	0.523
18	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० गोहना	फरीदपुर मोहल्ले में नगर पंचायत सीमा से रेलवे फाटक पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	14.321
19	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० गोहना	कोतवाली के बाउण्ड्री से इन्द्रावती के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2.690
20	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट-द्वितीय किशत	न०प० मुहम्मदाबाद गोहना	वार्ड न० 08, जमालपुर, कबीराबाद में गांधी आश्रम उपकेन्द्र से नूर आलम के मकान तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	3.452
	योग				177.429

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



425/3

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेरांना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूठा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उरी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। तथा द्वितीय किश्त में अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

  
(जाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(जाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक